

# असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936 No. 535] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 728(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53 ड. की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (डख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2014 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
  - "5. सिमिति, प्रत्येक रिक्ति के संबंध में, जो सिमिति को निर्दिष्ट है, नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन तीन नामों तक के पैनल की सिफारिश करेगी, परंतु जब कभी यह एकल नाम का पैनल नहीं है, तो नामों का पैनल योग्यता के क्रम में दिया जाएगा"।

[फा. सं. 5/31/2007-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 19 मई, 2008 में सा.का.नि. 387(अ), तारीख 16 मई, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्या 260(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2009 द्वारा संशोधित किए गए।

4097 GI/2014 (1)

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2014

- **G.S.R. 728(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (mb) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (2) of Section 53E of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Appellate Tribunal (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Rules, 2008, namely:
- 1. (1) These rules may be called the Competition Appellate Tribunal (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Amendment Rules, 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Competition Appellate Tribunal (Term of the Selection Committee and the Manner of Selection of Panel of Names) Rules, 2008, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"The Committee shall, under sub-rule (2) of rule 4, recommend a panel of upto three names, in respect of each vacancy that has been referred to the Committee, provided that the panel of names shall be given in order of merit whenever it is not a single name panel."

[F. No. 5/31/2007-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) dated 19th May, 2008, *vide* G.S.R. 387(E), dated 16th May, 2008 and amended *vide* no. G.S.R. 260(E) dated 20th April, 2009.